न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017/निगरानी

आवेदक --

अमित तिवारी पुत्र श्री शांतिदास तिवारी, आयु 23 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम बरगंवा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म0प्र0)

बनाम

अनावेदकगण --

1- मध्य प्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर, जिला श्योपुर (म0प्र0)

2- तहसीलदार, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म0प्र0)

3- विद्याबाई वैवा पत्नी स्व. नारायणसिंह

4- हाकिम सिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,

5- मुकेश पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह,

6- अनेकसिंह पुत्र स्व. श्री नारायणसिंह,

7- कु0 छाया पुत्री स्व.श्री नारायणसिंह,

8- विजयसिंह यादव पुत्र श्री छुट्टी यादव

9- श्रीमती शांतिबाई यादव पत्नी छुट्टी यादव, समस्त निवासीगण- ग्राम पनवाड़ा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म0प्र0

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरुद्ध दिनांक 11.08.2017 न्यायालय तहसीलदार, तहसील कराहल, जिला श्योपुर प्रकरण क्रमांक/16-17/अ-6 एवं विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण न किये जाने से आवेदक के स्वामित्व की भूमि क्रमांक 561/5, रकवा 0.898 हैक्टेयर को खुर्द-बुर्द करने बावत्।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ होने से किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता अथवा त्रुटि के कारण पक्षकार न्याय से वंचित रहने की दशा में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर न्यायहित में श्रवण करने का अधिकार है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/2992

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला श्योपुर**	